कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 2092 /XXV–12(11)/2018 देहरादूनः दिनांक 19 नवम्बर, 2021

सेवा में,

श्री राजीव कंसवाल, स्वतंत्र पत्रकार,
कंसवाल निवासी–खैरीखुर्द श्यामपुर,
पो0औ0–सत्यनारायण ऋषिकेश,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अनतर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील पर सुनवाई के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपने अपीलीय पत्र दिनांक 02 नवम्बर 2021 जो राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–575 दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के साथ संलग्न इस कार्यालय में दिनांक 09 नवम्बर 2021 को प्राप्त हुआ है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या–1703 दिनांक 07 अक्टूबर 2021 द्वारा आपके अनुरोध पत्र दिनांक 29–09–2021 में अंकित 4 बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय में धारित न होने के कारण उक्त पत्र में उल्लिखित अन्य लोक सूचना अधिकारियों को हस्तान्तरित किया गया है, जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गयी है। आपने अपने उक्त अपीलीय पत्र में उल्लेख किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं साथ ही लो0सू0अ0 सूचना प्रदान करने में जानबूझ कर आनाकानी कर रहा है। इस सम्बन्ध लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या–1703 दिनांक 07 अक्टूबर 2021 की प्रति पुनः प्रेषित की जा रही है।

2– सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक **29 नवम्बर 2021 की तिथि समय– 12:00 बजे दोपहर** निर्धारित की गयी है।

3– मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या–2913 दिनांक 04–06–2020 द्वारा विभागीय प्रथम अपीलों का निस्तारण कोविड–19 के संक्रमण, महामारी के दृष्टिगत जनहित तथा कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में सुनवाई ऑडियो/वीडियो कॉल के माध्यम से या लिखित अभिकथन के आधार पर किये जाने के निर्देश हैं।

4– इस कार्यालय द्वारा **https://meet.google.com/ptu-bnea-uvf** लिंक के माध्यम से सुनवाई की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त नियत दिनांक व समय पर Google Meet (**https://meet.google.com/ptu-bnea-uvf**) /मोबाईल कॉल के माध्यम से सुनवाई में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। कृपया सम्पर्क हेतु अपना मोबाईल नम्बर/ नम्बर /E-Mail आईडी उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व इस कार्यालय को ईमेल– election09@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अनुरोध करना है कि यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में दूरभाष से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपीलीय अधिकारी से सम्बन्धित मोबाईल नम्बर–9897995591 है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पृ0संख्या–2092/XXV–12(11)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4—सुभाष रोड़, देहरादून— 248001

Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713551

फैक्स न0 (0135) -2713724,

संख्या–1703 /XXV– 12(P-11)/2021 देहरादून : दिनांक 07 अक्टूबर, 2021

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातरंण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

1— लोक सूचना अधिकारी,
विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

2— लोक सूचना अधिकारी,
ग्राम्य विकास विभाग,
अनुभाग—2
उत्तराखण्ड शासन।

3— लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
टिहरी गढवाल।

विषय— **सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या—462 दिनाक 4.10.2021 के साथ संलग्न श्री राजीव कंसवाल, स्वतंत्र पत्रकार, कंसवाल निवास —खैरीखुर्द श्यामपुर पो0ओ0—सत्यनारायण ऋषिकेश का अनुरोध पत्र दिनाक 29.9.2021 इस कार्यालय में दिनांक 05.10.2021 को प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अनुरोध पत्र में चाही सूचनायें आपके कार्यालय से सम्बन्धित है—

क्र0स0	लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय का नाम	सम्बन्धित बिन्दु
1.	लोक सूचना अधिकारी, विधान सभा, उत्तराखण्ड।	बिन्दु संख्या—2,एवं 4
2.	लोक सूचना अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग—2 उत्तराखण्ड शासन।	बिन्दु संख्या—3
3.	लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी गढवाल।	बिन्दु संख्या—1

अतः उक्त अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी।

पृ0संख्या–1703 /XXV– 12(P-11) /2021 , तददिनांक।

प्रतिलिपि— श्री राजीव कंसवाल, स्वतंत्र पत्रकार, कंसवाल निवासी—खैरीखुर्द श्यामपुर पो0ओ0—सत्यनारायण ऋषिकेश को सूचनार्थ प्रेषित।

B.S. Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी।

16/11/21

संलग्नक–10

अनुरोधकर्ता को सूचना देने संबंधी प्रपत्र

कार्यालय लोकसूचना अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी गढवाल।

संख्या–695/29–6/2019–20 नई टिहरी दिनांक 11 नवम्बर, 2021

श्री ओंकार सिंह कोली
निवासी–989/9 दूसरा फ्लोर,
गोविन्दपुरी, कालकाजी,
दिल्ली। ई–मेल–**ukfoundation.org@gmail.com**

विषय– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके अनुरोध पत्र–18936 दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 जो लोक सूचना अधिकारी /अनुभाग अधिकारी कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–1825 दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 के द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 10.10.2021 को प्राप्त हुआ है। अनुरोध पत्र में चाही गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि मतदाता सूची में दो अलग–अलग मतदेय स्थलों में नाम दर्ज है व दो वोटर आई डी बनी है इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17,18 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

इस आवेदन के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि संतुष्ट न हो तो आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवतः है अपील दायर कर सकतें हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी का पता–
श्री रामजी शरण शर्मा
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
टिहरी गढवाल।
दूरभाष–01376–232164

भवदीय

(एस0एल0 शाह)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
टिहरी गढवाल।

ARO II
BS Rawat
18-11-2021 S.O

प्रतिलिपि– अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्रांक–1603दिनांक 24.09.2021 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
टिहरी गढवाल।

Received 18-11-21

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–1
संख्याः– / /XX(1)–2021–6(28)2021
देहरादून : दिनांक 16 नवम्बर, 2021

पंजीकृत

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

श्री राकेश अग्रवाल,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान मजदूर संगठन सोसाईटी(रजि0)
एफ–441/2 गली नं –6, मो0 राजेन्द्र नगर शफीपुर,
रूडकी, जिला हरिद्वार उततराखण्ड–247667

कृपया लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 15.11.2021 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इस कार्यालय को अंतरित आपका सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक अनुरोध पत्र दिनांक 08.11.2021, जो इस कार्यालय को दिनांक 16.11.2021 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के क्रम में आपके अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 02 से सम्बन्धित सूचना कुल 01 पृष्ठ में धारित है, जो आपको निशुल्क प्रेषित की जा रही है।

3– यदि आप उपर्युक्त सूचना से संतुष्ट न हों, तो पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर सचिव, गृह विभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् हैः–

श्री अतर सिंह,
विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर सचिव, गृह विभाग
कक्ष संख्या 01, प्रथम तल, सोबन सिंह जीना भवन,
उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, 04 सुभाष रोड, देहरादून।

(राजीव मिश्र)
लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।

संख्याः– 53 /XX(1)–2021–6(28)2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 15.11.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

Rajeev
(राजीव मिश्र)
लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।

S U No-17

Recd 12-11-2021

महत्वपूर्ण / समयबद्व / जनहित
दिनांक– 2 / 11 / 2021

सेवा में,

अपीलीय अधिकारी प्रथम
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
...रादून– उत्तराखण्ड

महोदय,

...अवगत कराना है कि प्रार्थी ने जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारी कार्या... ...य निर्वाचन अधिकारी से आठ बिन्दुओं पर निर्धारित शुल्क जमा करके निम्न सूचना मांगी थी। प्रार्थी ... मांगी गई सूचना निम्न थी।

1– लोक सभा चुनाव 2019 में ई0वी0एम एवं वी0वी0पैट के सफल संचालन के लिये आपके राज्य में ...र्मचरियों / अधिकारियों को लगाया गया था। उनमें से कितने तकनीक कर्मचारी / अधिकारी ...पैट निर्माता कम्पनियों के थे। और कितने–कितने अधिकारी / कर्मचारी केन्द्र व राज्य सरकार के ... थे। कितने तकनीकि लोग प्राईवेट सैक्टर से लिये गए।

2– ... के ऊपर लोक सभा चुनाव 2019 में कार्य ... चुनाव में लगाये गये थे। ... कर्मचारियों ने ई0वी0एम एवं वी0वी0पैट ... किस संवर्ग / स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारियों को ... प्राईवेट सैक्टर के कितने थे। ...धिकारी एवं कर्मचारियों ... एवं तकनीकि योग्यता क्या–क्या थी। और किस ... सरकारी तकनीकि लोक सेवक कितने थे। और प्राईवेट ... ...तान किया गया। ... पर कुल कितना–कितना व्यय ...टर के किस–किस संवर्ग के किस–किस अधिकारी / कर्मचारी ... ।

3– ...पैट पर लगने वाली सील पर एक बूथ के लिये कितना खर्चा आता है। एक बूथ पर लगने वाली ...वी0पट पर कितनी सील लगती है। प्रत्येक सील की कीमत क्या है। और इस सील को राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी या भारत निर्वाचन आयोग खरीदता है, या ई0वी0एम एवं वी0वी0पैट निर्माता कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

4– लोक सभा आम चुनाव 2019 एवं वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में किस–किस शैक्षिक एंव तकनीकि योग्यता के इंजीनियर उपलब्ध है। उनकी तकनीकि एक्सपर्ट तकनीकि इंजीनियरों में सूचि उपलब्ध काराई जाए।

5– ई0वी0एम एवं वी0वी0पैट में जो प्रोसेसर उपयोग होता है वह किस–किस कम्पनी का है। और उसे री–राईट किया जा सकता है अथवा नहीं।

6– भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है उसके अधीन राज्य निर्वाचन अधिकारी अपने राज्य में चुनाव कार्य करता है। उसकी चुनाव में क्या–क्या ड्यूटी (जिम्मेदारी) है एवं ई0वी0एम निर्माता कम्पनियों की क्या–क्या ड्यूटी (जिम्मेदारियां) है।

7– स्वतंत्र, निषपक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग और ई0वी0एम, वी0वी0पैट निर्माता कप्पनियों की क्या–क्या जिम्मेदारी है। उसका विवरण उपलब्ध कराया जाये।

8– देश का लोक सभा एवं विधान सभा चुनाव का संचालन ई0वी0एम एवं वी0वी0पैट से होता है। जिला स्तर पर, जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग स्तर पर जिन तकनीकि लोक सेवकों की तैनाती कर रखी है। उनकी पद् एवं संवर्गवार सूचि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सूचना देने की अधिकतम अवधि 30 दिन पूरे होने के बावजूद सूचना अप्राप्त है। जो सूचना अधिकार अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा मांगी गई आठ बिन्दुओं की सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराते हुए सूचना अधिकार का उल्लंघन करने वाले जनसूचना अधिकारी के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

महत्वपूर्ण / समयबद्ध / जनहित
दिनांक– 1 / 10 / 2021

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
देहरादून– उत्तराखंड

विषयः– जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सभा चुनाव 2019 के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में

महोदय,

1– लोक सभा चुनाव 2019 में ई0वी0एम एवं वी0वी0पैट के सफल संचालन के लिये आपके राज्य में कितने तकनीकि कर्मचरियों / अधिकारियों को लगाया गया था। उनमें से कितने तकनीक कर्मचारी / अधिकारी ई0वी0एम एवं वी0वी0पैट निर्माता कम्पनियों के थे। और कितने–कितने अधिकारी / कर्मचारी केन्द्र व राज्य सरकार के तकनीकि विभाग से चुनाव में लगाये गये थे। कितने तकनीकि लोग प्राईवेट सैक्टर से लिये गए।

2– जिन तकनीकि अधिकारी एवं कर्मचारियों ने ई0वी0एम एवं वी0वी0पैट के ऊपर लोक सभा चुनाव 2019 में कार्य किया। उनकी शैक्षिक एवं तकनीकि योग्यता क्या–क्या थी। और किस संवर्ग / स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारियों को कितना–कितना धन भुगतान किया गया। सरकारी तकनीकि लोक सेवक कितने थे। और प्राईवेट सैक्टर के कितने थे। सरकारी एवं प्राईवेट सैक्टर के किस–किस संवर्ग के किस–किस अधिकारी / कर्मचारी पर कुल कितना–कितना व्यय हुआ। मद्‌वार बताए जाये।

3– ई0वी0एम एवं वी0वी0पैट पर लगने वाली सील पर एक बूथ के लिये कितना खर्चा आता है। एक बूथ पर लगने वाली ई0वी0एम एवं वी0वी0पैट पर कितनी सील लगती है। प्रत्येक सील की कीमत क्या है। और इस सील को राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी या भारत निर्वाचन आयोग खरीदता है, या ई0वी0एम एवं वी0वी0पैट निर्माता कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

4– लोक सभा आम चुनाव 2019 एवं वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तकनीकि एक्सपर्ट तकनीकि इंजीनियरों में किस–किस शैक्षिक एंव तकनीकि योग्यता के इंजीनियर उपलब्ध है। उनकी सूचि उपलब्ध कारई जाए।

5– ई0वी0एम एवं वी0वी0पैट में जो प्रोसेसर उपयोग होता है वह किस–किस कम्पनी का है। और उसे री–राईट किया जा सकता है अथवा नहीं।

6– भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है उसके अधीन राज्य निर्वाचन अधिकारी अपने राज्य में चुनाव कार्य करता है। उसकी चुनाव में क्या–क्या ड्यूटी (जिम्मेदारी) है एवं ई0वी0एम निर्माता कम्पनियों की क्या–क्या ड्यूटी (जिम्मेदारियां) है।

7– स्वतंत्र, निषपक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग और ई0वी0एम, वी0वी0पैट निर्माता कप्पनियों की क्या–क्या जिम्मेदारी है। उसका विवरण उपलब्ध कराया जाये।

8– देश का लोक सभा एवं विधान सभा चुनाव का संचालन ई0वी0एम एवं वी0वी0पैट से होता है। जिला स्तर पर, जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग स्तर पर जिन तकनीकि लोक सेवकों की तैनाती कर रखी है। उनकी पद् एवं संवर्गवार सूचि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

शुल्क के रूप में रूपये 10 का पोस्टल आर्डर संख्या **51F 926791** संलग्न है। अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता हो तो प्रार्थी जमा करने को तैयार हैं। सूचना जनहित में मांगी गई है। अतः अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रार्थी
राजकुमार (एडवोकेट)
संयोजकः– संविधान बचाओ ट्रस्ट
चैम्बर नं0 365 जिला एवं सत्र न्यायालय कैम्पस
उ0प्र0 पिन कोड– 247001
मोबाईल नम्बर–9152095833
Email Id:- samvidhanbachaotrust@gmail.com

SL No. 16

पत्रवाहक / पंजीकृत

प्राप्त - 9/11/21

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या–575 / रा0नि0आ0–1 / 3012 / 2021 दिनांक 08 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राजीव कंसवाल, स्वतंत्र पत्रकार,कंसवाल निवास, खैरीखुर्द श्यामपुर, पो0ऑ0 सत्यनारायण, ऋषिकेश द्वारा प्रेषित एक अनुरोध–पत्र दिनांकित 29.09.2021 राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 01.10.2021 को प्राप्त हुआ था। उपरोक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचनाएं कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड से संबंधित होने के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र संख्या–462 दिनांक 04.10.2021(छायप्रति संलग्न) के माध्यम से सन्दर्भित अनुरोध पत्र को लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को अंतरित कर दिया गया था।

उपरोक्त अनुरोध पत्र के कम में अनुरोधकर्ता द्वारा अपील पंजीकृत करने हेतु अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.11.2021 प्रेषित किया है, जो आयोग में दिनांक 08.11.2021 को प्राप्त हुआ है। चूंकि प्रेषित अपीलीय प्रार्थना पत्र पर आपके स्तर से कार्यवाही की जानी है, अत्एव उपरोक्त अपीलीय प्रार्थना पत्र की मूल प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।
मो0 7302254903

संख्या– / रा0नि0आ0–1 / 3012 / 2021 तद्दिनांक। (पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री राजीव कंसवाल, स्वतंत्र पत्रकार,कंसवाल निवास, खैरीखुर्द श्यामपुर, पो0ऑ0 सत्यनारायण, ऋषिकेश को सूचनार्थ।

राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।

सेवामें,

श्रीमान् वि0अपी0अधि0 / कार्यालय

उत्तराखण्ड निर्वाचन आयोग

देहरादून।

विषय–अपीलकर्त्ता निम्नलिखित निवेदन सेवामें पेश कर रहा है।–

महोदय,

यह है कि अपीलकर्त्ता ने दिनांक–29 / 09 / 2021 को लो0सू0अधि0 / कार्यालय उत्तराखण्ड निर्वाचन आयोग, देहरादून 4 **बिन्दुओं** पर संलग्न अनुरोध पत्रानुसार सूचना चाही थी।

1. यह है कि लो0सू0अधि0 ने अपीलकर्त्ता को चाही गई सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं करवायी है।
2. यह है कि लो0सू0अधि0 सूचना प्रदान करने में जानबूझकर आनाकानी कर रहा है न्यायहित में लो0सू0अधि0 से चाही गई सूचना निःशुल्क प्रदान करवाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रस्तुत अपील का निस्तारण कर लो0सू0अधि0 से चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

दिनांक– 02.11.2021

प्रार्थी

राजीव कंसवाल

स्वतंत्र पत्रकार

संलग्न–

प्रेषित सूचना प्रार्थना पत्र

पता–कंसवाल निवास–खैरीखुर्द श्यामपुर पो0–सत्यनारायण ऋषिकेश 249204

सेवामें,

श्रीमान् लो0सू0अधि0 / कार्यालय

उत्तराखण्ड निर्वाचन आयोग

देहरादून।

विषय–सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।–

महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि घनसाली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित वर्तमान विधायक शक्ति लाल शाह की सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्न बिदुओं पर सूचना प्रदान करने की कृपा करें।–

1. यह है कि उक्त विधायक ने अपने चुनाव शपथत्र में माननीय आयोग को अपनी सम्पत्ति का क्या विबरण दिया है दिये गये उक्त विवरण की प्रमाणित छायाप्रति दें।
2. यह है कि उक्त विधायक को सरकार से क्या–क्या सुविधाऐं प्रदान की जा रही है प्रमाणित छायाप्रति दें।
3. यह है कि उक्त विधायक को अब तक सरकार से कुल कितनी धनराशि विधायक निधि प्राप्त हुई प्रमाणित छायाप्रति दें।
4. यह है कि उक्त को सरकार से कुल कितना विधायक भत्ता एवं मानदेय प्राप्त हुआ है प्रमाणित छायाप्रति दें।

दिनांक– 29.09.2021

प्रार्थी

राजीव कंसवाल

स्वतंत्र पत्रकार

संलग्न–

पोस्टल आर्डर संख्या–51 एफ 683080 / 10 रूपये

पता–कंसवाल निवास–खैरीखुर्द श्यामपुर पो0ओ0–सत्यनारायण ऋषिकेश 249204

अधपन्ना COUNTERFOIL

इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख लें। To be detached and kept by the Sender.

पोस्टल आर्डर ₹ 10 POSTAL ORDER

किस अदा करना To whom payable

किस डाकघर में At what Office

क्या इसे क्रास किया है Whether crossed

भेजने की तारीख Date sent 29.09.2021

51F 683080

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या– 462 /रा0नि0आ0–1/3012/2021 दिनांक 04 अक्टूबर, 2021

<u>सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण</u>

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राजीव कंसवाल, स्वतंत्र पत्रकार,कंसवाल निवास, खैरीखुर्द श्यामपुर, पो0ऑ0 सत्यनारायण, ऋषिकेश द्वारा सूचना प्रेषित अनुरोध–पत्र दिनांकित 29.09.2021 राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 01.10.2021 को प्रांप्त हुआ है तथा अनुरोधकर्ता द्वारा नियमानुसार रू0 10.00 का पोस्टल आर्डर भी आवेदन शुल्क के रूप में प्रेषित किया गया है।

चूंकि अनुरोध पत्र में मांगी गयी 04 बिन्दुओं की सूचनाएं आपके विभाग से संबंधित है, अतएव् सन्दर्गित अनुरोध पत्र की मूलप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से अंतरित किया जा रहा है कि अनुरोध–पत्र में वांछित सूचनाएं नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–<u>उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुवत/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0 [illegible] 7302254903

<u>संख्या–462/रा0नि0आ0–1/3012/2021 तद्दिनांक। (पंजीकृत)</u>

<u>प्रतिलिपिः</u>– श्री राजीव कंसवाल, स्वतंत्र पत्रकार,कंसवाल निवास, खैरीखुर्द श्यामपुर, पो0ऑ0 सत्यनारायण, ऋषिकेश को सूचनार्थ।

राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

कार्यालयः— मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तराखण्ड़ देहरादून डिस्पैच किये पत्रों का विवरण 13.10.2021

क0 स0	नाम	जनपद	बार कोड	भार
1	श्री गगां सिंह पांगती	बागेश्वर	EV523747188IN	
2	डॉ विनोद आर्य, पूर्व उपाध्यक्ष (राज्यमत्री)	हरिद्वार	EV523747302IN	
3	श्री रामपाल सिंह रावत नायब तहसीलदार	हरिद्वार	EV523747421IN	
4	श्री राजकुमार एडवोकेट उत्तर प्रदेश पिन 247001	उत्तर प्रदेश पिन 247001	EV523738963IN	

SPEED POST-BNPL
DDN-10-206

कार्यालयः— मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तराखण्ड़ देहरादून डिस्पैच किये पत्रों का विवरण 07.10.2021

क0 स0	नाम	जनपद	बार कोड	भार
1	श्री राजीव कंसवाल स्वतंत्र पत्रकार	ऋषिकेश	EV523749590IN	
2	श्री हंस राज मीना उप सचिव, (वित्त)	नई दिल्ली	EV523749609IN	

SPEED POST-BNPL
DDN-10-208

Received
17-11-2021

पंजीकृत

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या–1647/XVIII(1)/2021-12(70) 2021
देहरादूनः दिनांकः 16 नवम्बर, 2021

सूचना का अधिकार

श्री राकेश अग्रवाल,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान मजदूर संगठन सोसाईटी (रजि0),
एफ–441/2, गली नं0–6, मौ0 राजेन्द्र नगर शफीपुर,
रूड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड–247667

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–1998/2021, दिनांक 15.11.2021, जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 16.11.2021 को प्राप्त हुआ है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके अनुरोध पत्र दिनांक 01.11.2021 की प्रति संलग्नक करते हुए आपके द्वारा वांछित बिन्दुओं के सापेक्ष बिन्दु संख्या–2 की सूचना आपको उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– आपके द्वारा वांछित बिन्दु संख्या–2 की सूचना से संबंधित राजस्व विभाग की सूचना निम्नवत् है:–

क्र0सं0	वांछित बिन्दु/सूचना	सूचना का विवरण
1	2	3
1.	बिन्दु संख्या–2	यद्यपि वांछित सूचना धारित नहीं है। तथापि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून को अन्तरित किया जा रहा है।

3– अतः यदि आप उपरोक्तानुसार सन्तुष्ट न हो तो पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिनका पता निम्नवत् है, के समक्ष प्रथम अपील दायर कर सकते हैं:–

श्री सुभाष चन्द्र
अनु सचिव/प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी,
राजस्व अनुभाग–1, प्रथम तल,
ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम भवन,
उत्तराखण्ड शासन।

(बसन्त बल्लभ जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी

संख्या–1647(2)/XVIII(1)/2021-12(70) 2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. लोक सूचना अधिकारी, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र इस आशय से अन्तरित है कि कृपया अनुरोध पत्र में उल्लिखित बिन्दु–2 के संबंध में राजस्व विभाग से संबंधित सूचना समयान्तर्गत अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **(संलग्नक–यथोपरि)**
2. अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 15.11.2021 के क्रम में।

(बसन्त बल्लभ जोशी)
लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी